

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनू (राजस्थान)
(दिनांक 12.03.2022 शनिवार)

लोक अदालत बैच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. -15/2019

GCMS NO- 2019/01131

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

-उनवान-

विजेन्द्र कुमार

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:निर्णय:-

दिनांक : 12.03.2022

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का घरखाना खुर्द आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ठिचौली की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ठिचौली	104	विजेन्द्र सिंह पुत्र लीलाराम व लीलाराम पुत्र हनुमान	विजेन्द्र कुमार पुत्र लीलाराम व लीलाधर पुत्र हनुमाना राम

(श्रीकांत)
सदस्य
अधिवक्ता

(सुनील कुमार चौहान)
आर.ए.एस
सदस्य
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

(दीपक कुमार)
अध्यक्ष
न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

क्रमांक :- राजस्व/2022/

प्रतिलिपि :- तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

दिनांक :- 12.03.2022

उपखण्ड अधिकारी बुहाना